

सरला मेमोरियल राजकीय महिला महाविद्यालय, सफीदों, जिला जींद, हरियाणा

Memo No. GCWS/2026/1270

Date: 14/9/2026

खुली सार्वजनिक नीलामी हेतु सूचना

सर्वसाधारण, कबाड़ी/स्क्रेप व्यापारी, स्क्रेप दुकानदार तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में पड़ी हुई अनुपयोगी/रद्दी सामग्री जैसे पुराने समाचार पत्र, रद्दी कागज, गत्ता (Cardboard) आदि की नीलामी "जहाँ है, जैसी है" (AS IS WHERE IS) के आधार पर खुली सार्वजनिक बोली द्वारा की जाएगी।

खुली नीलामी का कार्यक्रम

विवरण	जानकारी
नीलामी की तारीख	22 सितंबर, 2026 (मंगलवार)
समय	दोपहर 1:00 बजे
स्थान	कमरा नं. 7, सरला मेमोरियल राजकीय महिला महाविद्यालय, सफीदों
धरोहर राशि	Rs 3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र)
बोली का आधार	स्क्रेप सामग्री की दर रुपये प्रति किलोग्राम (Rs/Kg)

नियम एवं शर्तें

- नीलामी खुली सार्वजनिक बोली के माध्यम से इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में आयोजित की जाएगी।
- नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति/कबाड़ी/स्क्रेप दुकानदार को नीलामी शुरू होने से पहले Rs 3,000/- (रुपये तीन हजार मात्र) धरोहर राशि महाविद्यालय में जमा करवानी होगी।

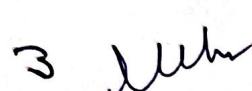
3. केवल वही व्यक्ति खुली बोली में भाग ले सकेंगे जिन्होंने निर्धारित धरोहर राशि जमा करवाई होगी।
4. बोली स्क्रेप सामग्री की न्यूनतम दर 14 रुपये प्रति किलोग्राम (Rs/Kg) के आधार पर लगाई जाएगी। बोलीदाता द्वारा प्रति किलोग्राम दर खुले रूप से प्रस्तुत की जाएगी तथा अन्य बोलीदाताओं द्वारा उक्त दर को बढ़ाया जा सकेगा।
5. नीलामी के दौरान प्रति किलोग्राम प्राप्त सर्वाधिक स्वीकार्य बोली को उच्चतम बोली माना जाएगा। स्क्रेप सामग्री का अंतिम मूल्य वास्तविक वजन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
6. स्क्रेप सामग्री का कुल देय मूल्य वास्तविक वजन (किलोग्राम) x सफल बोलीदाता द्वारा दी गई स्वीकृत दर (Rs/Kg) के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
7. असफल बोलीदाताओं की Rs 3,000/- की धरोहर राशि नीलामी की कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात मौके पर ही वापस कर दी जाएगी।
8. सफल बोलीदाता की Rs 3,000/- की धरोहर राशि कुल देय नीलामी राशि में समायोजित कर दी जाएगी।
9. सफल बोलीदाता को शेष देय राशि महाविद्यालय/नीलामी समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमा करवानी होगी। पूर्ण राशि प्राप्त होने के बाद ही स्क्रेप सामग्री उठाने की अनुमति दी जाएगी।
10. नीलामी की जाने वाली सामग्री "जहाँ है, जैसी है" (AS IS WHERE IS) के आधार पर बेची जाएगी। इच्छुक बोलीदाता नीलामी में भाग लेने से पूर्व सामग्री का निरीक्षण कर सकते हैं।
11. स्क्रेप सामग्री का वजन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित/स्वीकृत वजन मशीन/कांटे पर किया जाएगा और वजन के आधार पर देय राशि निर्धारित की जाएगी। वजन के संबंध में नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।
12. स्क्रेप सामग्री की लोडिंग, मजदूरी, परिवहन तथा महाविद्यालय परिसर से सामग्री उठाने से संबंधित सभी खर्च सफल बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किए जाएंगे।
13. महाविद्यालय को सर्वाधिक बोली अथवा किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा नीलामी को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
14. नीलामी के संचालन तथा बोली की स्वीकृति के संबंध में नीलामी समिति/प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

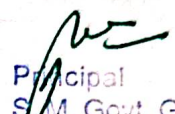
15. उपर्युक्त नियम एवं शर्तों में वर्णित न किए गए किसी भी विषय पर प्राचार्य/नीलामी समिति द्वारा लागू नियमों एवं निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

अतः सर्वसाधारण, कबाड़ी/स्क्रेप व्यापारी, स्क्रेप दुकानदार एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान पर आयोजित खुली सार्वजनिक नीलामी में भाग लें।

नीलामी समिति.

प्राचार्य

1.  (Vikas Lather)
14/9/26
2. Neelan (Ms. Neelan)
3.  (Ms. Neha)
4. Madhu (Ms. Madhu)


Principal
S.M. Govt. Girls College
Safidon (Jind)